

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र सं. 21 / 2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही ।।

बनाम

अप्रार्थी

1. मृतक श्री हंसा पुत्र श्री सोना जाति भील निवासी भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम—
 - 1.1 श्रीमती गेरी पुत्री स्व. श्री हंसा जाति भील निवासी डेरना तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
 - 1.2 श्रीमती हीरी पुत्री स्व. श्री हंसा जाति भील निवासी डेरना तहसील आबूरोड जिला सिरोही।


राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :-

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 09.11.2022



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा भुजेला, पटवार मण्डल भारजा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 50/3 रकबा 400 बीघा किस्म बरानी-4 भूमि आई हुई है जिसे भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.07.1981 को अप्रार्थी श्री हंसा पुत्र श्री सोना जाति भील निवासी भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 780 द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी



Beella
जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी को ओर से परावार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 50/3 रकबा 4.00 बीघा किसम बारानी-4 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री हंसा पुत्र श्री सोना जाति भील निवासी भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका एवं उसके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीयान का कब्जा नहीं है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा भुजेला, पटवार मण्डल भारजा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 50/3 रकबा 4.00 बीघा किसम बारानी-4 भूमि आई हुई है जिस भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.07.1981 को अप्रार्थी श्री हंसा पुत्र श्री सोना जाति भील निवासी भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 780 दर्ज किया गया। यह है कि पटवारी हल्का भारजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पड़ी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नहीं किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीयान द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नहीं पाया जाता। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीयान को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नहीं होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भुजेला, पटवार मण्डल भारजा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 50/3 रकबा 4.00 बीघा किसम बारानी-4 भूमि आई हुई है जिसे भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.07.1981 को अप्रार्थी श्री हंसा पुत्र श्री सोना जाति भील निवासी भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



P. S. 11/12
(स. म. व. म. म. म.)
जिला कलक्टर, सिरोही